न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 11/2021   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/11**
दायर दिनांक :– 15.01.2021   **निर्णय दिनांक :– 19.03.2025**

1. अब्दुल मजीद पुत्र खैरदीन जाति सिन्धी मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. अनिश खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. भागे खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. गाजी खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिय कुदरती वलीया माता रहमत पत्नी सतार खा
4. सरमों पत्नी जमालदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. सतार खां पुत्र महेन्द्रखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. नूरदीन खान पुत्र हाजी निजामुदीन जाति मुसलमान नि. सिन्धीयों की ढाणी तह. व जिला पाली
7. लतीफ खान पुत्र जाजी निजामुदीन जाति मुसलमान नि. सिन्धीयों की ढाणी तह. व जिला पाली
8. सायब खातु पत्नी समार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. ईस्लाम पुत्र संकर खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. मुकदर अली पुत्र संकर खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. नबीबग्स पुत्र सिकू खां फौत के कायम मुकाम

11/1 हबी पत्नी नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/2 गाजी खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/3 सतार खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/4 हाजी खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/5 हनीफ खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

12. हबी पत्नी गुलशेर जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
13. शाखा प्रबन्धक आर. एम. जी. बी. शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर प्रति. संख्या 6 व 7

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम देदासरी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में मूल खसरा नम्बर 61 रकबा 442–08 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

17/3/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 व 8 ता 13 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम देदासरी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 61 रकबा 442–08 बीघा, खसरा नम्बर 61/1 रकबा 50–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 61/2 रकबा 50–00 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम देदासरी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 61 रकबा 71.6131 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	अनिश खां 737/2824, गाजीखां 737/2824, भागेखां 737/2824 पि. सतार खां, सतार खां पि. महेन्द्र खां 213/2824, इकबाल पि. गाजी खां 400/2824 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	देदासरी	61	22.8566 हैक्टेयर	बी–4
2	नूरदीन खां पि. निजामुदीन खान जाति मुसलमान सिन्धियों की ढाणी पाली वार्ड नं. 45 जिला पाली खातेदार	देदासरी	61	3.2617 हैक्टेयर	बी–4

13/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

3	लतीफ खान पि. निजामुदीन खान जाति मुसलमान सिन्धियों की ढाणी पाली वार्ड 45 जिला पाली खातेदार	देदासरी	61	14.6415 हैक्टेयर	बी–4
4	सरमो पत्नी जमालदीन जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	देदासरी	61	12.9499 हैक्टेयर	बी–4
5	मजीद पि. खैरदीन जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी शेखासर	देदासरी	61	8.9517 हैक्टेयर	बी–4
6	हबी पत्नी गुलशेर जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	देदासरी	61	8.9517 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

सहायक (सुखेराम) पिण्डेल आर.ए.एस)
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. अब्दुल मजीद पुत्र खैरदीन जाति सिन्धी मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

--वादी

बनाम

01. अनिश खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
02. भागे खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
03. गाजी खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
    प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिय कुदरती वलीया माता रहमत पत्नी सतार खां
04. सरमों पत्नी जमालदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
05. सतार खां पुत्र महेन्द्रखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
06. नूरदीन खान पुत्र हाजी निजामुदीन जाति मुसलमान नि. सिन्धीयों की ढाणी तह. व जिला पाली
07. लतीफ खान पुत्र जाजी निजामुदीन जाति मुसलमान नि. सिन्धीयों की ढाणी तह. व जिला पाली
08. सायब खातु पत्नी समार खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
09. ईस्लाम पुत्र संकर खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. मुकदर अली पुत्र संकर खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. नबीबग्स पुत्र सिकू खां फौत के कायम मुकाम

11/1 हबी पत्नी नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/2 गाजी खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/3 सतार खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/4 हाजी खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11/5 हनीफ खां पुत्र नबीबग्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

12. हबी पत्नी गुलशेर जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
13. शाखा प्रबन्धक आर. एम. जी. बी. शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या 11/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम देदासरी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 61 रकबा 71.6131

12/3/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

...क्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का ...दी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	अनिश खां 737/2824, गाजीखां 737/2824, भागेखां 737/2824 पि. सतार खां, सतार खां पि. महेन्द्र खां 213/2824, इकबाल पि. गाजी खां 400/2824 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	देदासरी	61	22.8566 हैक्टेयर	बी–4
2	नूरदीन खां पि. निजामुदीन खान जाति मुसलमान सिन्धियों की ढाणी पाली वार्ड नं. 45 जिला पाली खातेदार	देदासरी	61	3.2617 हैक्टेयर	बी–4
3	लतीफ खान पि. निजामुदीन खान जाति मुसलमान सिन्धियों की ढाणी पाली वार्ड 45 जिला पाली खातेदार	देदासरी	61	14.6415 हैक्टेयर	बी–4
4	सरमो पत्नी जमालदीन जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	देदासरी	61	12.9499 हैक्टेयर	बी–4
5	मजीद पि. खैरदीन जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी शेखासर	देदासरी	61	8.9517 हैक्टेयर	बी–4
6	हबी पत्नी गुलशेर जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	देदासरी	61	8.9517 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.03.2025 को जारी की गई।

(सुखराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।